Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ बनाम ऊषा पत्नी सुशील कुमार मून्धडा महेश्वरी वार्ड नं. 12 बिग्गाबास श्रीडूंगरगढ

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 36/2020 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15.03.2021	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 386 रकबा 0.33 हेक्टयर भूमि में अप्रार्थी खातेदार द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अवैद्य रूप से छोटे–छोटे वाणिज्यिक भू–खण्ड बनाने एवं कृषिभूमि का अकृषि उपयोग ली गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा भूमि के संबंध में उपपंजीयक कार्यालय श्रीडूंगरगढ के समक्ष अप्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री पवनकुमार जाति ब्राहम्मण निवासी बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ के पक्ष में दिनांक 15.01.2018 एवं श्रीमती भगवती देवी पत्नी गोपाल जाति ब्राहाम्मण औझा निवासी रघुनाथसर कुआ के पास, बीकानेर के पक्ष में दिनांक 07.02.2018 को निष्पादित करवाए गए है तथा अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग/उपभोग कृषि कार्यो के लिए नही करने पर वादगत खसरा भूमि के मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति तादावा फैसला बनाये रखने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अपनी कृषि भूमि को किसी प्रकार से अकृषि कार्य के उपयोग में नही लेना बताया है। बहस का मनन किया। दस्तावेजो का अवलोकन किया। वादगत खेत खसरा नम्बर 386 तादादी 0.33 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ की कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा भूमि के संबंध में विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2018 व 07.02.2018 की प्रति का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 386 की भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के छोटे–छोटे भूखण्डों में विक्रय किया गया है। इससे से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व खाते की कृषि भूमि को कृषि प्रयोजन के लिये नही लिया जा रहा है इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित है। इसलिये अंतरिम निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि तादावा फैसला खेत ख.न. 386 तादादी 0.33 हैक्टर वाके रोही श्रीडूंगरगढ़ भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश आज दिनांक 15.03.2021 को [illegible] इजलास मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर [illegible] की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली [illegible] रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया। (दिव्या) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) श्रीडूंगरगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़